संख्या-147/2016/1308/22-2-2016-56जी/2015

प्रेषक,

देबाशीष पण्डा,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2- समस्त जिला मजिस्ट्रेट, उत्तर प्रदेश।
3- समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।
4- समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5- समस्त जिला प्रोबेशन अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6- समस्त वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षक/चिकित्साधिकारी, कारागार, उत्तर प्रदेश।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 07 सितम्बर, 2016***

विषय: प्रदेश के कारागारों में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दियों की समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में पांच बिन्दुओं पर गम्भीरता पूर्वक विचार कर आख्या उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के अर्द्धशासकीय पत्र सं0-179/22-2-2016-56जी/2016, दिनांक 01.02.2016 तथा शासनादेश सं0-63/2016/884/22-2-2016-56जी/2016, दिनांक 19.05.2016 द्वारा लक्ष्मण नास्कर बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया, 2000 क्रि0एल0जे0-1471 में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निम्नलिखित पांच बिन्दुओं को उल्लिखित किया गया है:-

1- क्या सम्बन्धित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित किये बिना व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में आता है ।

2- क्या बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने का कोई अवसर है ।

3- क्या सिद्धदोष बन्दी पुन: अपराध करने में अशक्त हो गया है ।

4- क्या बन्दी को जेल में और आगे निरूद्ध करने का कोई सार्थक प्रयोजन है ।

5- बन्दी के परिवार की सामाजिक, आर्थिक दशा बन्दी की समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त है ।

यह संज्ञान में आया है कि अब भी अनेक प्रकरणों में उपरोक्त बिन्दुओं पर गम्भीरता पूर्वक विचार न कर सिद्धदोष बन्दियों की समयपूर्व रिहाई सम्बन्धी आख्या/संस्तुति विरोधाभाषी उपलब्ध करायी जा रही है, जबकि उक्त पत्र में यह स्पष्ट निदेश दिये गये थे कि सिद्धदोष बन्दियों की समयपूर्व रिहाई के प्रकरणों का विरोध मात्र विशिष्ट आधार एवं तथ्यों के होने पर ही किया जाय एवं सम्बन्धित अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों को इस सम्बन्ध में निर्देश दिये जायं कि वे बिना विस्तृत-गहन जांच एवं विशिष्ट तथ्य/आधार अंकित किये रिहाई के मामलों में रूटीन आधार पर विरोध न करें। यदि किसी प्रकरण मे कोई विशेष प्रतिकूल तथ्य हो, तभी उसकी रिहाई का विरोध किया जाय तथा उन प्रतिकूल तथ्यों को ठोस आधार सहित अंकित कर आख्या/संस्तुति सम्बन्धित अधिकारी को उपलब्ध करायें। प्राय: यह भी देखने में आया है कि उक्त पांच बिन्दुओं का उत्तर पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा हां अथवा नहीं में दे दिया जाता

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

है, बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने का अवसर है, बन्दी अपराध करने में अशक्त हो गया है, बन्दी को जेल में और आगे निरूद्ध रखने का कोई सार्थक प्रयोजन है। इस सम्बन्ध में बन्दी के पक्ष में टिप्पणी अंकित करने के पश्चात् भी सामान्यत: बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की जाती है। कभी-कभी थाना प्रभारियों की रिपोर्ट के आधार पर बिना गहनता से परीक्षण किये ही पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अपनी आख्या/संस्तुति प्रेषित कर दी जाती है। इस प्रकार सिद्धदोष बन्दियों की समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में आख्या/संस्तुति उपलब्ध कराने में अपेक्षित गम्भीरता आवश्यक है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के कारागारों में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दियों की समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में उक्त पांच बिन्दुओं पर गम्भीरता पूर्वक विचार कर आख्या/संस्तुति महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। इन प्रकरणों में सतही परीक्षण किये जाने तथा विरोधाभाषी आख्या/संस्तुति उपलब्ध कराये जाने पर उसे गम्भीरता से लिया जायेगा।

भवदीय,

(देबाशीष पण्डा)
प्रमुख सचिव

<u>संख्या-147/2016/1308(1)/22-2-2016,तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश।
2- प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश।
3- प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी, उत्तर प्रदेश।
4- समस्त अधिकारी एवं अनुभाग कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
5- समस्त परिक्षेत्रीय कारागार, उप महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।